विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री नरेश चन्द्र उत्तम, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
6(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भत्ता देगी?	जी नहीं।
(ख) यदि हॉ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित है। सेवायोजन पोर्टल पर दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक पंजीकृत रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) की संख्या 34,76,520 एवं पंजीकृत सत्यापित नियोजकों की संख्या–13,127 है।

सेवायोजन विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से शासकीय संस्थाओं हेतु जेम के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा एवं निजी क्षेत्र में रोजगार मेले के माध्यम से चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। चयन होने के उपरान्त भी पंजीकृत अभ्यर्थी और बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत बने रहते हैं। पूर्व से रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।

- **आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर**– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के कय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रकिया के अनुपालन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
- **उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग**– शासनादेश संख्या 434/36–5–2020–8(29)/2020, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।
- **मिशन रोजगार**– शासनादेश संख्या–1222/36–5–2020, दिनांक 03.12.2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक–05 दिसम्बर, 2020 से "**मिशन रोजगार**" अभियान चलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी सूचना के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या–40,96,968 एवं सृजित मानव दिवस–17,76,25,426 है।

- **सेवामित्र**– कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य एवं शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल sewamitra.up.gov.in की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।
  - **सेवामित्र व्यवस्था की प्रगति(दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक)** :–

(क)	कुशल कामगार	:–	36,257
(ख)	सेवा प्रदाताओं की संख्या	:–	767
(ग)	सेवामित्र की संख्या	:–	3,758

- **रोजगार मेलों का आयोजन**– निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

  सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2023 तक आयोजित 5896 रोजगार मेलों के माध्यम से 8,03,074 अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयनित कराया गया।
- **कॅरियर काउन्सिलिंग**– प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जॉब सीकर्स) को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

  सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2023 तक आयोजित कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों की संख्या 16349 है व कॅरियर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या 1677099 है।
- **मॉडल कॅरियर सेन्टर**– भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों– लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, मीरजापुर, लखीमपुर–खीरी, आगरा, सीतापुर, बिजनौर, बस्ती, गोण्डा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बरेली, हरदोई एवं बहराइच में मॉडल कॅरियर सेन्टर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदेश के 15 अन्य जनपदों में मॉडल कॅरियर सेन्टर खोले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- **शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र**– प्रदेश के 52 जनपदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 36 जनपदों में उक्त केन्द्र क्रियाशील है। इन शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में सामान्य–ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनिल राजभर
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन

AN UO-2/1743